

02/09/24

पत्रावली पेश हुई। आधिवक्ता अभ्यपक्ष
टाजिरा प्रार्थी/प्राथी आधिवक्ता को
शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु/
समन हेतु रजिस्टर्ड तलबी करवायी
जानी थी, परन्तु बार-बार निर्देशित
छिये जाने के उपरान्त भी प्राथी/वादी
द्वारा शेष प्रवादी प्रतिवादीगणों के
समन के लिए रजिस्टर्ड तलबी पेश
नहीं की गई। प्राथी/वादी रजिस्ट्रार तलबी
हेतु डाक-खर्च देने में विफल
रहा है। अतः वादी का वाद आदेश

09 नियम 02 सिविल प्रक्रिया संहिता
के तहत पौषणीय नहीं होने से
खारिज किया जाता है। निर्णय आज
दिनांक 02/09/2024 को सैर इजलास
सुनाया गया। पत्रावली फंजल शुमार
है दर्ज नम्बर से कम है।

सहायक जज
जयपुर शहर प्रथम